न्यायालय: सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 215/2019

अनवान :

सुनील कुमार पुत्र श्री प्रभूसिंह जाति जांगिड़ ब्राहम्ण आयु 31 वर्ष निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. प्रभूसिंह पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण आयु 53 वर्ष निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुशील कुमार पुत्र प्रभूसिंह जाति जांगिड़ ब्राहम्ण आयु 26 वर्ष निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पार्वती पुत्री प्रभूसिंह पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल लाखलान तहसील सादुलपुर जिला चुरू।
4. बैंक पीएनबी शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबधंक मलसीसर।
5. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित : वकील श्री पूनम चन्द वर्मा : वादी

वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय दिनांक 12-03-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 164/166 के खसरा सं0 208 की 6.7790 है0 बारानी और खसरा सं0 357 की 3.8950 है0 बारानी कुल 10.6740 है0 बारानी में से 34/35 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रभूसिंह को वादी के दादा रावताराम से प्राप्त हुई है इसलिए वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक का वाद भूमि में 1/4– 1/4 हिस्सा है ।

उक्त वाद भूमि बाबत पक्षकारान में पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहें है वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 राजकीय सेवा में शिक्षक है जिनके हिस्सा में रौही मौजा जाटान की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 72/69 के खसरा सं0 311/1 की 1.5180 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि बंटवारा में आयी हुई है और प्रतिवादीया सं0 3 वादी की बहिन है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी शादी के समय अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तर्क की हुई है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे के.सी.सी. ऋण [illegible] आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं [illegible] 3 में दर्ज रोही मौजा जाटान के खाता सं0 164/166 के खसरा सं0 208 की 6.7790 है0 और खसरा सं0 357 की 3.8950 है0 कुल 10.6740 है0 बारानी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 प्रभूसिंह के नाम दर्ज 34/35 हिस्सा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के हकदार है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी सुनील कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी ग्राम जाटान खाता सं0 164/166 सम्वत 2073–2076 प्रदर्श 1 व जमाबन्दी ग्राम जाटान खाता सं0 72/69 सम्वत 2073–2076 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जाटान प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम जाटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में कथन किया है कि वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 प्रभूसिंह को वादी के दादा रावताराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने ग्राम जाटान की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 164/166 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है जिसमें पूर्व की प्रविष्टि वादी के दादा रावता वल्द शेराराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एंव वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में प्रभूसिंह के वारिसान में पत्नी सुमित्रा देवी, एक पुत्री पार्वती, दो पुत्र सुनिल कुमार, सुशील कुमार होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम जाटान की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 164/166 के खसरा सं0 208 की 6.7790 है0 बारानी, खसरा सं0 357 की 3.8950 है0 बारानी कुल 10.6740 है0 बारानी में से 34/35 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 प्रभूसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 प्रभूसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 दोनो बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनो के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकाड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावें तथा रौही मौजा जाटान के खाता सं0 72/69 के खसरा सं0 311/1 की 1.5180 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-03-2020 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय ने सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(मुकेश आर्य)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 215/2019

अनवान :

सुनील कुमार पुत्र श्री प्रभूसिंह जाति जांगिड़ ब्राह्मण आयु 31 वर्ष निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. प्रभूसिंह पुत्र रावताराम जाति जांगिड़ ब्राह्मण आयु 53 वर्ष निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुशील कुमार पुत्र प्रभूसिंह जाति जांगिड़ ब्राह्मण आयु 26 वर्ष निवासी जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. पार्वती पुत्री प्रभूसिंह पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी जाटान हाल लाखलान तहसील सादुलपुर जिला चुरू।
4. बैंक पीएनबी शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबधंक मलसीसर।
5. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनम चन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम जाटान की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता सं0 164/166 के खसरा सं0 208 की 6.7790 है0 बारानी और खसरा सं0 357 की 3.8950 है0 बारानी कुल 10.6740 है0 बारानी में से 34/35 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 प्रभूसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 प्रभूसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एंव प्रतिवादी सं0 2 दोनो बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वाद कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनो के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकाड में दर्ज कर रेकार्ड दुरुस्त किया जावें तथा रौही मौजा जाटान के खाता सं0 72/69 के खसरा सं0 311/1 की 1.5180 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना–अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-03-2... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारैठ)
RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner